

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक— 4412 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, मार्च 13-4-2021
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— जनपद—सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की वीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50हे0 वनभूमि 30वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन सम्बन्धित प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या—एफ0पी0/यू0पी0/माइन्स/24551/2017 के सम्बन्ध में।
संदर्भ:— प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट पत्र संख्या—2646/रेनुकूट/15-108 दिनांक 03.02.2021 पत्र संख्या—3211/रेनुकूट/15-108 दिनांक 23.03.2021 तथा पत्रांक 3485/15-108 दिनांक 12-4-2021।
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद—सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की वीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50हे0 वनभूमि 30वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन सम्बन्धित प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या—एफ0पी0/यू0पी0/माइन्स/24551/2017 है जिसकी परीक्षणोपरान्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मय सी0डी0 संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की इस स्तर से ऑन लाईन सबमिशन कर 3 प्रतियों में संस्तुति सहित एतदसह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक—प्रस्ताव तीन प्रति।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या— 4412 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को संदर्भित पत्र के कम में इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत मामले में जब तक भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं जाती है तब तक किसी भी दशा में गैर वानिकी कार्य न होने पाये।

4 files प्राप्त
13/4/21
(V. K. Singh) - NCL

(रमेश चन्द्र झा) 13/04
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

6

भाग— III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद—सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की वीना परियोजना को बीना—ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० वनभूमि 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन सम्बन्धित प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या—एफ०पी०/यू०पी०/माइन्स/24551/2017 के सम्बन्ध में।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक 13-04-2021

स्थान—मीरजापुर

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

मुख्य वन अधिकारी
मीरजापुर क्षेत्र
13/04/2021